



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.07.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 15.07.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

थाना-फ्रेण्ड्स कॉलोनी

मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ चौटाला पुत्र श्रीराम सिंह नि0 रसूलपुर थाना मंगोर्ला जनपद मथुरा को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पैरोकार, व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 2.260 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद होने के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 29.07.2023 को मु0अ0सं0 223/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राजेश मौर्या** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार **का0 तरुण प्रताप सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिंह परिहार** द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.07.2026 को अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस में **मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. ओमप्रकाश उर्फ चौटाला पुत्र श्रीराम सिंह नि0 रसूलपुर थाना मंगोर्ला जनपद मथुरा।